उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग–5

संख्या–:3338/नौ–5–2017–101बजट/2016

लखनऊः दिनांकः 10 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

स्वच्छ भारत मिशन के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मद के अन्तर्गत कूड़े के कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रान्सपोर्टेशन आदि कार्यों हेतु शासनादेश संख्या–316/2016/3325/नौ–5–16–101बजट/16, दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 द्वारा कुल 38 नगर पालिका परिषदों तथा 61 नगर पंचायतों की कार्ययोजना लागत रूपए 11648.75 लाख की प्रशाासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के कम में शासनादेश संख्या–3687/ नौ–5–16–101सा/16टीसी, दिनांक 24 नवम्बर, 2016 द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मद के अन्तर्गत कूड़े के कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रान्सपोर्टेशन आदि हेतु यन्त्र, संयंत्र एवं वाहनों के केन्द्रीयकृत प्रणाली से सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम द्वारा कय किये जाने एवं संदर्भित कार्यो हेतु अवमुक्त धनराशि उन्हें उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त उक्त निकायवार स्वीकृत धनराशि सम्बन्धित निकायों को इस निर्देश के साथ अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि निकाय अंश को सम्मिलित कर आवश्यक कय, निकाय स्तर से नगर निगम के लिए मण्डलायुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के लिए जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार कय समिति गठित करते हुए, राज्य सरकार के अद्यावधिक कय सम्बन्धी सुसंगत प्राविधानों के अनुसार गठित कय समिति के माध्यम से किया जायेगाः–

नगर निगम, के संदर्भ में कय समितिः–

(1)	मण्डलायुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	अध्यक्ष
(2)	अपर आयुक्त (प्रशासन)	सदस्य
(3)	अपर आयुक्त, (लेखा)	सदस्य
(4)	निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(5)	सम्बन्धित नगर आयुक्त	सदस्य सचिव

नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के संदर्भ में कय समितिः–

(1)	जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	अध्यक्ष
(2)	प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय)	सदस्य
(3)	निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(4)	सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी	सदस्य सचिव

3– उपरोक्त समिति द्वारा कय किये जाने वाले उपकरणों में सेग्रिगेटेट कूड़ा कलेक्शन में (Twin Bin) मोटर वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी। शेष उपकरणों की आवश्यकता का आकलन समिति द्वारा स्वयं किया जायेगा। प्रस्तावित कय Government e-MarketPlace (GeM) के माध्यम से किया जायेगा।

4— क्रय किये जाने वाले मोटेराईज़्ड वाहन जी0पी0एस0 युक्त हो यह प्रयास किया जाए। 46 नगर निकायों में इन आवश्यक वाहनों का आकलन क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ द्वारा किया गया है, जिसको प्रति संलग्न है।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाय।

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

<u>संख्या—3338(1)/नौ—5—17 एवं तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मिशन निदेशक(एस0बी0एम0), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8. निदेशक, सी0एण्डडी0एस0,उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9. गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से
10/10/17
(अनिल कुमार वाजपेयी)
विशेष सचिव

U.O Tiwari-2017